

कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय मुरादाबाद।
नीलामी सूचना

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद के स्वीकृति आदेश दिनांकित 15.04.2026 के अनुक्रम में जनपद न्यायालय मुरादाबाद में 6 कैन्टीन यथा नजारत के सामने पूर्व मुखी कैन्टीन, नजारत के सामने पश्चिम मुखी कैन्टीन, 12 कोर्ट भवन स्थित कैन्टीन/स्थल, एम०ए०सी०टी० कोर्ट के सामने स्थित 01 कैन्टीन, एम०ए०सी०टी० कोर्ट के पीछे स्थित 01 कैन्टीन और सिविल जजी ब्लॉक स्थित कैन्टीन तथा 1 फोटो स्टेट दुकान हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में (दिनांक 31.03.2027 तक के लिए) ठेके की नीलामी दिनांक 29.04.2026 बुधवार को समय 4:30 बजे जनपद न्यायालय मुरादाबाद के केन्द्रीय नजारत अनुभाग में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति समय से उपस्थित आकर नीलामी की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। ठेके का विवरण एवं शर्तों के संबंध में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय मुरादाबाद से जानकारी ली जा सकती है।

कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में (दिनांक 31.03.2027 तक के लिए)
ठेके की नीलामी नियम व शर्तें निम्नवत हैं।

1. उपरोक्त ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2026-27 में (दिनांक 31.03.2027 तक के लिए) तय रहेगी।
2. सबसे अधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
3. ठेके की धनराशि का ¼ भाग उसी समय जमा करना होगा। शेष ¼ भाग माह जुलाई 2026 में, शेष ¼ भाग माह नवम्बर 2026 में तथा शेष ¼ भाग माह फरवरी 2027 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा।
4. प्रत्येक बोलीदाता को अंकन 25000/- रुपये बोली बोलने से पूर्व जमा करने होंगे तथा साथ में अपना आई डी प्रूफ प्रस्तुत करना होगा।
5. बोली बोलने वाला व्यक्ति प्रतिबंधित सूची के अंतर्गत न आता हो और कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हुआ हो और न ही किसी भी प्रकार का मामला विचाराधीन हो।
6. बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, मुरादाबाद के पास सुरक्षित रहेगा।
7. ठेकेदार को कैन्टीन हेतु चिन्हित स्थान की साफ-सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं०- 139 दिनांक 18.03.1979 के अनुसार प्रत्येक सामान की दर सूची प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय मुरादाबाद द्वारा सत्यापित करा कर ऐसे स्थान पर लगानी होगी जहाँ से प्रत्येक ग्राहक सूची को आसानी से देख सकें।
8. ठेकेदार ठेके की अवधि में उपभोग की गई विद्युत का खर्चा स्वयं वहन करेगा।
9. ठेकेदार के पक्ष में छोड़े गए ठेके की धनराशि के मूल्य के जमानत प्रपत्र प्रस्तुत करने होंगे एवं जिस व्यक्ति के नाम ठेका स्वीकृत होगा उसे माननीय उच्च न्यायालय के प्रपत्र सं०- 31/S दिनांकित 16.03.1988 में दी गई शर्तों के अनुसार ठेकेदार को बोली के पश्चात 100/- रुपये का स्टाम्प पेपर लेकर आना होगा और अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा।



दिनांक: 23.04.2026


(कृष्ण कुमार सिंह II)

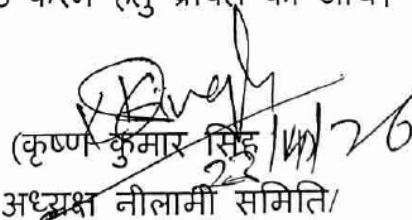
अध्यक्ष नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 06, मुरादाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला सूचना अधिकारी, मुरादाबाद को G.O No. 562/19-2-2007-1007(T.C) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने पर चस्पा किये जाने हेतु।
2. जनपद न्यायालय, मुरादाबाद नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
3. कलेक्ट्रेट, मुरादाबाद नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
4. समस्त बार एसोसिएशन, मुरादाबाद।
5. केंद्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराने एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा कराये जाने हेतु।
6. कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, मुरादाबाद को उक्त प्रेस विज्ञप्ति की एक छायाप्रति माननीय जनपद न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जायें।


(कृष्ण कुमार सिंह II)
अध्यक्ष नीलामी समिति/

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कोर्ट सं० 06, मुरादाबाद।